जिला उदयपुर (राजस्थान)
विजन@2047

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग –

- ग्रामवासियों को सभी सरकारी सुविधाएं एक ही छत के निचे उपलब्ध कराने हेतु मिनि सचिवालय स्थापित करना।
- ग्रामवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु हर घर में नल योजना के माध्यम से पेयजल आपुर्ति करना।
- सभी गांवों में स्वच्छता हेतु गंदे पानी की समुचित निकासी हेतु नालियों का निर्माण करा गंदे पानी का समुचित निपटान करना/ कृषि कार्यो में उपयोग करना।
- चारागाह भुमि को अतिक्रमण मुक्त कर वृक्षारोपण कार्य कराना।
- गांवों में उपलब्ध वन उपज एवं अन्य संसाधनों के विपणन हेतु हाट बाजार विकसित कर ग्रामवासियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना।
- सभी गांवों में प्रकाश की व्यवस्था हेतु सोलर स्ट्रीट लाईट लगाना।
- आवास विहिन परिवारों को सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराना।
- शिक्षा से वंचित बालकों को स्थानीय ग्रामवासियों के सहयोग से विद्यालय से जोडना।
- सभी गांवों में कुपोषित महिलाओं एवं बच्चो का सर्वे करा कुपोषण मुक्त करना।
- आजिविका हेतु स्थानिय स्तर पर रोजगार की समुचित अवसर प्रदान करने हेतु गांव में उपलब्ध वन उपज के माध्यम से रोजगार प्रदान करना।
- सभी गांवों में शहरों की तरह सुविधां उपलब्ध कराने हेतु मास्टर प्लान तैयार गांव का विकास करना।
- ग्रामवासियों को स्वास्थ्य सुविधा के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम चलाना।

नगर विकास प्रन्यास–

- झीलों की नगरी, उदयपुर शहर अपने नैर्सगिक सौन्दर्य एवं ऐतिहासिक धरोहर की वजह से विश्व के पर्यटन मानचित्र पर अपनी अलग पहचान स्थापित कर चुका है। यहां पर देष–विदेष से पर्यटकों का वर्षपर्यन्त आवागमन रहता है। उदयपुर में विगत कुछ वर्षो में नये शैक्षणिक संस्थान यथा आई.आई.एम., मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ईन्जीनियरिंग कॉलेज भी स्थापित होने से उक्त शहर में शैक्षणिक पर्यटन की दृष्टि से भी अपनी पहचान बनाता जा रहा है। हाल ही में जी–20 सम्मेलन की शेरपाझीलों की नगरी, उदयपुर शहर अपने नैर्सगिक सौन्दर्य एवं ऐतिहासिक धरोहर की वजह से विष्व के पर्यटन मानचित्र पर अपनी अलग पहचान स्थापित कर चुका है। यहां पर देष–विदेष से पर्यटकों का वर्षपर्यन्त आवागमन रहता है। उदयपुर में विगत कुछ वर्षो में नये शैक्षणिक संस्थान यथा आई.आई. एम., मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ईन्जीनियरिंग कॉलेज भी स्थापित होने से उक्त शहर में शैक्षणिक पर्यटन की दृष्टि से भी अपनी पहचान बनाता जा रहा है। हाल ही में जी–20 सम्मेलन की शेरपा बैठक का सफल आयोजन भी उदयपुर में होने के साथ ही विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अधिवेषन भी उदयपुर में होने से अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक पर्यटन की दृष्टि से भी वैष्विक स्तर पर उदयपुर ने अपनी अलग पहचान बनाई है।
    - उपरोक्तानुसार अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर उदयपुर की ब्रान्डिग के साथ ही यहां के स्वच्छ पर्यावरण एवं शान्त वातावरण के दृष्टिगत उदयपुर में सभी स्तर पर

वाणिज्यिक, आवासीय, शैक्षणिक व पर्यटन इकाई इत्यादि तेजी से स्थापित हो रहे है तथा इस कारण से उदयपुर की स्थाई जनसंख्या में भी वृद्धि होने के साथ ही अस्थाई आबादी की संख्या में भी प्रतिवर्ष बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में मौजूदा आधारभूत एवं मुलभूत सुविधाओं का बढ़ती आबादी के दृष्टिगत समान्तर रूप से विकास किया जाना स्थानीय प्रषासन के लिए एक चुनौतिपूर्ण कार्य है। साथ ही आगामी 25 वर्षो में वर्तमान परिस्थितियों अनुसार बढ़ती आबादी व शहरी क्षेत्र के विस्तार में निम्नानुसार चुनौतियों पर कार्य किया जाना आवश्यक है :–

- शहर में बढ़ते यातायात दबाव व मौजूदा सड़कों के मार्गाधिकार की सीमित चौड़ाई के दृष्टिगत सड़कों पर मल्टीलेवल यातायात व्यवस्था हेतु आवष्यकतानुसार एलिवेटेड़ रोड़ का निर्माण आवष्यक है ताकि यातायात लेन में बढ़ोतरी के साथ ही अतिरिक्त पार्किंग स्थल भी उपलब्ध हो सके।
- उदयपुर शहर के चारो तरफ बाहरी क्षेत्र में अभी से ही आवष्यकतानुसार सड़कों के मार्गाधिकार पर्याप्त चौड़ाई के प्रस्तावित होकर पार्किंग हेतु भी समुचित भूमि का चिन्हीकरण प्रस्तावित किया जाना आवष्यक है।
- वर्तमान में जिस गति से वाहनों की संख्या में शहर में निरन्तर बढ़ रही है इस कारण पर्यावरण को वायु प्रदुषण को रोकने की दृष्टि से फॉसिल फ्यूल यथा पेट्रोल, डीजल इत्यादि के स्थान पर सोलर, बेट्री, ई.वी. चार्जिंग वाले वाहनों को प्रोत्साहित किया जाना आवष्यक है ताकि वायु गुणवत्ता सुचकांक अनुरूप ही निर्धारित मानकों के अन्दर ही बना रहे।¬
- बढ़ती आबादी के दृष्टिगत मुलभूत सुविधाओं के तहत सबकों आवास उपलब्ध कराने की दृष्टि से सभी स्तर की आवासीय योजनाओं पर निरन्तर कार्य किया जाना आवष्यक है ताकि सभी वर्ग के लोगों को आवास मुहैया हो सके।
- वर्तमान में उदयपुर शहर की झीलें ही पेयजल हेतु प्रमुख स्त्रोंत है जिनको प्रतिवर्ष भरने हेतु वर्षा जल पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आगामी 25 वर्षो में बढ़ती आबादी के दृष्टिगत एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्धता सुनिष्चित करने हेतु झीलों के कैचमेंट क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त रखने के साथ ही कैचमेंट में आवष्यकतानुसार रिजर्वेयर बनाया जाना चाहिए ताकि वर्षाजल को व्यर्थ बहने से रोका जा सके तथा रिजर्वेयर को भरने से भूमिगत स्त्रोतों को रिर्चाज के साथ ही आवष्यकता पड़ने पर ग्रीष्म ऋतु में झीलों को पुनर्भरण हेतु भी काम में लिया जा सकें। साथ ही उदयपुर की शहरी सीमा में स्थित विभिन्न छोटे–बड़े तालाबों व इनके कैचमेंट का संरक्षण भी आवष्यक है ताकि क्षेत्रीय स्तर पर इन तालाबों के पानी को पेयजल स्त्रोत हेतु उपयोग में लिया जा सके व आस–पास के क्षेत्र का भूजल भी रिचार्ज हो सके।
- भू–जल को रिर्चाज करने के साथ ही वर्षा जल के संचय की दृष्टि से सभी प्रकार के भवनों के निर्माण में वाटर हॉवेस्टिंग सयंत्र स्थापित करने की अनिवार्यता आवष्यक होनी चाहिए।
- सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सभी प्रकार के भवनों में सौर ऊर्जा सयंत्र स्थापित करने बाबत् भी नियम लागू करने चाहिए।

- बैठक का सफल आयोजन भी उदयपुर में होने के साथ ही विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अधिवेषन भी उदयपुर में होने से अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक पर्यटन की दृष्टि से भी वैष्विक स्तर पर उदयपुर ने अपनी अलग पहचान बनाई है।
- उपरोक्तानुसार अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर उदयपुर की ब्रान्डिग के साथ ही यहां के स्वच्छ पर्यावरण एवं शान्त वातावरण के दृष्टिगत उदयपुर में सभी स्तर पर वाणिज्यिक,

आवासीय, शैक्षणिक व पर्यटन इकाई इत्यादि तेजी से स्थापित हो रहे है तथा इस कारण से उदयपुर की स्थाई जनसंख्या में भी वृद्धि होने के साथ ही अस्थाई आबादी की संख्या में भी प्रतिवर्ष बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में मौजूदा आधारभूत एवं मुलभूत सुविधाओं का बढ़ती आबादी के दृष्टिगत समान्तर रूप से विकास किया जाना स्थानीय प्रषासन के लिए एक चुनौतिपूर्ण कार्य है। साथ ही आगामी 25 वर्षो में वर्तमान परिस्थितियों अनुसार बढ़ती आबादी व शहरी क्षेत्र के विस्तार में निम्नानुसार चुनौतियों पर कार्य किया जाना आवश्यक है :–

- शहर में बढ़ते यातायात दबाव व मौजूदा सड़कों के मार्गाधिकार की सीमित चौड़ाई के दृष्टिगत सड़कों पर मल्टीलेवल यातायात व्यवस्था हेतु आवष्यकतानुसार एलिवेटेड़ रोड़ का निर्माण आवष्यक है ताकि यातायात लेन में बढ़ोतरी के साथ ही अतिरिक्त पार्किंग स्थल भी उपलब्ध हो सके।
- उदयपुर शहर के चारो तरफ बाहरी क्षेत्र में अभी से ही आवष्यकतानुसार सड़कों के मार्गाधिकार पर्याप्त चौड़ाई के प्रस्तावित होकर पार्किंग हेतु भी समुचित भूमि का चिन्हीकरण।
- वर्तमान में जिस गति से वाहनों की संख्या में शहर में निरन्तर बढ़ रही है इस कारण पर्यावरण को वायु प्रदुषण को रोकने की दृष्टि से फॉसिल फ्यूल यथा पेट्रोल, डीजल इत्यादि के स्थान पर सोलर, बेट्री, ई.वी. चार्जिंग वाले वाहनों को प्रोत्साहित किया जाना ताकि वायु गुणवत्ता सुचकांक अनुरूप ही निर्धारित मानकों के अन्दर ही बना रहे।
- बढ़ती आबादी के दृष्टिगत मुलभूत सुविधाओं के तहत सबकों आवास उपलब्ध कराने की दृष्टि से सभी स्तर की आवासीय योजनाओं पर निरन्तर कार्य ताकि सभी वर्ग के लोगों को आवास मुहैया हो सके।
- वर्तमान में उदयपुर शहर की झीलें ही पेयजल हेतु प्रमुख स्त्रोंत है जिनको प्रतिवर्ष भरने हेतु वर्षा जल पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आगामी 25 वर्षो में बढ़ती आबादी के दृष्टिगत एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु झीलों के कैचमेंट क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त रखने के साथ ही कैचमेंट में आवश्यकतानुसार रिजर्वेयर बनाया जाना चाहिए ताकि वर्षाजल को व्यर्थ बहने से रोका जा सके तथा रिजर्वेयर को भरने से भूमिगत स्त्रोतों को रिर्चाज के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर ग्रीष्म ऋतु में झीलों को पुनर्भरण हेतु भी काम में लिया जा सकें। साथ ही उदयपुर की शहरी सीमा में स्थित विभिन्न छोटे–बड़े तालाबों व इनके कैचमेंट का संरक्षण भी आवश्यक है ताकि क्षेत्रीय स्तर पर इन तालाबों के पानी को पेयजल स्त्रोत हेतु उपयोग में लिया जा सके व आस–पास के क्षेत्र का भूजल भी रिचार्ज हो सके।
- भू–जल को रिर्चाज करने के साथ ही वर्षा जल के संचय की दृष्टि से सभी प्रकार के भवनों के निर्माण में वाटर हॉवेस्टिंग सयंत्र स्थापित करने की अनिवार्यता ।
- सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सभी प्रकार के भवनों में सौर ऊर्जा सयंत्र स्थापित करने बाबत् नियम ।

खाद्य सुरक्षा एवं नागरिक आपूर्ति विभाग –

- आवश्यकतानुसार/क्षेत्रीय मांग के अनुरूप खाद्य सामग्री वितरण।
- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो गेहूं या अन्य सामग्री नही लेना चाहते, खाद्य सामग्री का भण्डारण एवं खाद्य सामग्री वितरण का व्यय नही होगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग –

- **मातृ मृत्यु दर (एमएमआर)** –यदि किसी महिला की गर्भधारण करने से प्रसव के 42 दिन के भीतर प्रसव जनित कारणों से मृत्यु होती है तो उसे मातृ मृत्यु कहा जाता है। स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा किये गये विभिन्न सर्वे के माध्यम से प्राप्त आंकडों के आनुसार राज्य की मातृ मृत्यु दर वर्ष 2010–12 के दौरान 255 प्रति एक लाख जीवित जन्म रही थी, इसके पष्चात वर्ष 2014–16 मे यह दर 255 प्रति एक लाख जीवित जन्म रही जो वर्तमान मे एसआरएस सर्वे वर्ष 2018–20 जो माह नवम्बर 2022 मे जारी किया गया है राज्य की मातृ मृत्यु दर 113 प्रति एक लाख जीवित जन्म रही है जिसे वर्ष 2047 तक 10 से 15 प्रति एक लाख जीवित जन्म तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।
- शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) प्रति 1000 जीवित जन्म (किसी भी नवजात के जन्म से 01 वर्ष की अवधि मे होने वाली मृत्यु) जो कि वर्ष 2010 मे 55 थी, वर्ष 2014 मे 46, 2016 मे 41 एवं वर्ममान मे वर्ष 2022 मे एसआरएस सर्वे अनुसार 32 एवं एनएफएचएस 5 अनुसार 30 रही है जिसे विभाग द्वारा वर्ष 2047 तक 5 से 7 के मध्य लाना है।
- समुदाय मे जागरूकता पैदा करने हेतु किये जा रहे विभिन्न प्रयासों से क्षेत्र मे होने वाले समस्त प्रसवों को संस्थागत कराया जाना सुनिष्चित करना है। डीएलएचएस सर्वे 4 अनुसार वर्ष 2012–13 मे यह संस्थागत प्रसव 78 प्रतिषत थे जो वर्ष 2015–16 मे एनएफएचएस 4 अनुसार 84 प्रतिषत रहा तथा वर्ष 2019–21 मे एनएचएफएस 5 सर्वे अनुसार 95 प्रतिषत संस्थागत प्रसव रहे जिसे आगामी समय पर वर्ष 2047 तक 100 प्रतिषत किये जाने एवं सेवाएं पूर्णतयः गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देना सुनिश्चित किया जाना है।

नगर निगम –

- सभी परिप्रेक्षों में आत्म निर्भर नगर निगम ।
- कार्बन नूट्रल सिटी– नगरपालिका द्वारा किए जा रहे सभी कार्यों, संचालनों एवं सुविधाओं से शून्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन।
- सभी उम्र, लिंग और आय समूहों के लिए एक शहर जहां नगर निगम इष्टतम स्तर पर सभी संबंधित सेवाएं प्रदान कर रहा हो; जैसे सड़क, शहरी परिवहन, फुट्पाथ, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ हवा, खुले और हरे स्थान आदि।
- निवासियों और सभी उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए एक पूर्ण रूप से डिजिटल नगर निगम।
- उदयपुर शहर को इस तरह से डिवेलप करना की शहर में एक संतुलित मात्र में ग्रीन एण्ड ब्लू इन्फ्रस्ट्रक्चर।

सार्वजनिक निर्माण विभाग –

- उदयपुर जिले में विभिन्न श्रेणी की कुल 9389 किमी डामर सड़क (All weather road) का निर्माण किया गया जिसमें 569 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग (NH), 503 किमी राज्य राजमार्ग (SH), 362 किमी मुख्य जिला सड़कें (MDR), 508 किमी अन्य जिला सडकें (ODR), 7388 किमी ग्रामीण सडकें (VR) एवं 59 किमी अरबन सड़क सम्मिलित हैं। इस तरह उदयपुर जिले में सड़क घनत्व 80.00 किमी प्रति 100.00 वर्ग किलोमीटर है।
- उदयपुर जिले में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर कुल 2471 गांव है तथा जनसंख्या के आधार पर प्राथमिकता से राजस्व गावों को सड़क मार्ग से जोड़ने का कार्य करते हुए 2124 गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ा जा चुका है। 500 तक की आबादी के शेष

गांवों को सड़क से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है जो कि अगले वित्तीय वर्ष तक पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे है।

- 2047 तक राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत समस्त राजस्व गांवों को डामर सड़क से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा।

ज्न स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग–

- जिले के सभी 2492 गांव के सभी 564242 घरो में नल द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाया जायेगा।
- जिले के सभी शहरी क्षैत्र उदयपुर, कानोड, भीण्डर, फतहनगर, सलुम्बर, खेरवाडा ऋषभदेव कें वर्तमान में लाभान्वित 70 से 80 प्रतिशत घरों को बढा कर 100 प्रतिशत घरों में नार्मस के अनुसार नल द्वारा पेयजल उपलबध करवाया जायेगा जो कि वर्तमान में 30 से 35 प्रतिशत कम की उपलब्धता है।

उर्जा विभाग–

- हर घर में स्वच्छ, हरित उर्जा व सतत उर्जा
- घर घर पर सोलर रूफ टॉप से बिजली उत्पादन
- हर कृषी पंप पर सोलराइजेशन
- थोड़ी थोड़ी दूरी पर बंजर भूमि पर सोलर जनरेषन प्लान्ट लगाना ताकि ट्रान्समिशन की लागत व होने वाले नुकसान कम किया जा सके।
- थर्मल जनरेशन पर निर्भरता कम करना ताकि कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सके।
- पुराने बिजली तंत्र को भविष्य की मांग के अनुसार सुदृढ़ बनाना।
- बिजली वितरण इन्फ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकरण करना तथा सूचना प्रौद्योगिकी का कार्य निष्पादन हेतु उपयोग में लेना।
- सभी उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड़ मीटर लगाना।
- उच्च मांग के समय renewable/ hydal generation का उपयोग करना।

महिला एवं बाल विकास विभाग–

- आंगनबाडी केन्द्र से वंचित राजस्व गांवो में नियमानुसार नवीन आंगनबाडी केन्द्र स्वीकृत करा संचालित करने का प्रयास किया जायेगा।
- विभागीय भवनों से वंचित आंगनबाडी केन्द्रों के भवनों का निर्माण करवाया जायेगा।
- सभी आंगनबाडी केन्द्रों पर बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य की दृष्टि से नवीनतम तकनिकी नवाचारों से लाभान्वित करने का कार्य किया जायेगा।
- सभी आंगनबाडी केन्द्रों को शुद्ध पेयजल एवं शौचालय सुविधाओ से युक्त किया जायेगा।
- सभी विभागीय भवनो का विद्युतीकरण किया जाकर नवीनतम तकनिकी से जोडा जायेगा।
- कुपोषण के निवारण हेतु राष्ट्रीय पोषण अभियान अन्तर्गत नवीनतम दैनिक, साप्ताहिक भिन्न – भिन्न रेसीपी अनुसार पौष्टिक आहार उपलब्ध करा बच्चो को कुपोषण मुक्त कराया जायेगा।

- गर्भवती एवं धात्री माताओं में कुपोषण एवं एनिमिया निवारण हेतु टीकाकरण कार्यक्रम, पोषाहार कार्यक्रम को सुदृढ बना महिलाओं के एवं बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाने का प्रयास किया जायेगा।
- वर्तमान में विभाग द्वारा पोषण वाटिकाओं का संचालन किया जा रहा है जिसे और अधिक विकसित कर पोषण बच्चों एवं गर्भवती एवं धात्री माताओं को ताजी सब्जियॉ एवं फल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा।
- सभी विभागीय भवनों में संचालित आंगनबाडी केन्द्रों को नन्दघर में विकसित किया जायेगा।
- सभी राजकीय योजनाओं की पहुच सभी पात्र लाभाथियों तक सुगम व और आसन बनाने के लिए वर्तमान में संचालित ऑनलाईन प्लेटफॉर्म यथा पोषण ट्रेकर, पोषाहार कार्यक्रम, टिकाकरण कार्यक्रम को बायोमेट्रिक युक्त करने का प्रयास किया जायेगा। जिससे कोई भी पात्र लाभार्थि वंचित नही रहे।

शिक्षा विभाग –

- गैर शैक्षणिक कार्य से शैक्षणिक कार्य को अलग कर गैर शैक्षणिक कार्य में विशिष्ट कार्य हेतु विशिष्ट कार्मिको की नियुक्ति करवाना ।
- अनामांकित एवं ड्रापआउट बच्चों को शत प्रतिशत विद्यालयों से जोड़ना । ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक छात्र अनुपात के मानक का अनुसरण करना ।
- डिजिटल शिक्षण में वृद्धि करना तथा स्मार्ट क्लासरूम उपलब्ध करवाना ।
- निःशुल्क पाठ्यपुस्तक का ऑफलाईन वितरण के स्थान पर डिजिटल वितरण ताकि बच्चे के बैग का भार कम हो सके।
- अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषाओं के साथ–साथ क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षण को प्राथमिकता देना।
- आधारभुत ढ़ाचे को बेहतर करना यथा इन्टरनेट सुविधा, खेल मैदान, चारदिवारी, उपलब्ध कक्षा कक्ष हेतु फर्नीचर, पुस्तकालय एवं संबंधित सुविधाएं ।
- शैक्षणिक गतिविधियों की भांति खेलकूद को प्राथमिकता देना साथ ही खेलकूद का व्यावसायीकरण करना । थीम पर आधारित शिक्षण अर्थात बच्चे की रूचि के अनुसार शिक्षण को प्राथमिकता देना ।
- संकुल विद्यालय अर्थात कम नामांकन वाले एक ही स्थान पर स्थित विद्यालयों को मर्ज कर समुचित आधारभूत सुविधाओं एवं परिवहन व्यवस्था वाले विद्यालयों का गठन करना ।

वन विभाग –

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि इस वन मण्डल अधीन 8 रेंजों के अन्तर्गत जनजातिय लोगों को नियमानुसार पट्टे दिलाने की कार्यवाही की जा रही है। पंचायत समिति स्तर पर परिवादों के निस्तारण के भी केम्प आयोजित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है :–

- मानव एवं वन्यजीव टकराव की रोकथाम हेतु विभिन्न योजना मे पक्की दीवार निर्माण कर रोकना।
- वनक्षेत्रों में निवासरत लोगों को महानरेगा एवं विभिन्न योजनओं के अंतर्गत विकास कार्य करके लोगों को रोजगार देना।

- राजीव गांधी जल संचय योजना के अंतर्गत वनक्षेत्रों में डी.एल.टी. एवं पक्के एनिकट निर्माण करके भू–कटाव की रोकथाम करके जल संरक्षण करना।
- वनक्षेत्रों की रिक्त भूमि में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके पौधारोपण का कार्य करना।
- नर्सरियों में नवीन पौध तैयारी करके औषधीय एवं फलदार, छायादार बड़े पौधों का वितरण राजकीय भूमि एवं आमजन को करना।
- वन कर्मचारियों एवं होमगार्ड की नियमित गश्त करके अवैध खनन/अतिक्रमण की रोकथाम की जा रही है एवं लगातार करना।
- अमलदरामद की शेष वनभूमि को अभियानों के द्वारा अमलदरामद की कार्यवाही करना।

पर्यटन विभाग–

- उदयपुर में रात्रि पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए पर्यटन स्थलों को अधिक समय तक खोलना।
- नाइट मार्केट और फैशन स्ट्रीट विकसित करना।
- युवा अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पारंपरिक संगीत के साथ–साथ पश्चिमी संगीत बैंड पेश करना।
- वन एवं झीलों में साहसिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- कन्वेंशन सेंटर विकसित करना ताकि बिजनेस टूरिज्म फल–फूल सके।
- समर्पित भोजन गलियाँ विकसित करना और ये रात्रि में भी खुली रखना।
- पर्यटन स्थलों पर सांस्कृतिक गतिविधियां करना।

श्रम विभाग–

- निर्माण श्रमिकों का पंजीयन संख्या बढाना ताकि उन्हें योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके।
- विभागीय कार्यो परिवेदनाओं का ऑनलाईन मॉड्यूल में निस्तारण कार्य।
- अर्द्धन्यायिक कार्यो जिन्हें मेन्यूअली संधारित किया जाता हैं, को ऑनलाईन प्रक्रिया में परिवर्तित करने की दिशा में कार्य करना।
- निरीक्षण, प्रवर्तन का कार्य ऑनलाईन संधारित करना।
- श्रमिकों को लाभान्वित की जाने वाली योजनाओं का ऑनलाईन ही निस्तारण कार्य किया जाएगा, ताकि अधिकाधिक लाभान्वित किया जा सकेगा।